

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -183/2016 (आवंटन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00332

सरकार जर्गे तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. रतनलाल आत्मज जगन्नाथ
2. मन्नालाल आत्मज सांवललाल
3. राधेश्याम आत्मज सांवललाल
4. राजकुमार आत्मज सांवललाल
5. मोहनबाई पुत्री सांवललाल
6. सन्तोषबाई पुत्री सांवललाल

जाति ब्राह्मण निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा  
राजस्थान

—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ  
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के  
अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित—

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 15/10/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि: तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 51,76,77,185,189,228,230,231,237,241 258 किता-11 रकबा 0.83 हे0, भूमि दिनांक 17.05.1972 व 25.02.73 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण को ग्राम बिशन्याखेडी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 51,76,77,185,189,228,230,231,237,241 258 किता-11 रकबा 0.83 हे0, भूमि दिनांक 17.05.1972 व 25.02.73 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

h

4. हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण को ग्राम बिशन्याखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 51,76,77,185,189,228,230,231,237,241 258 किता-11 रकबा 0.83 हे0, भूमि दिनांक 17.05.1972 व 25.02.73 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम बिशन्याखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 51,76,77,185,189,228,230,231,237,241 258 किता-11 रकबा 0.83 हे0, भूमि आवंटी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं पाया जाने से अप्रार्थी के हक में दिनांक 17.05.1972 व 25.02.73 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलेक्टर, कोटा

जिज्ञा कलेक्टर  
कोटा

